राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांक : प्रशि. / जनप्र / एम–124 / 2022 / 673 दिनांक 30-12-22

समस्त प्रधानाचार्य,
निजी नर्सिंग स्कूल,
राजस्थान।

विषय :– जीएनएम प्रशिक्षण सत्र 2022–23 में प्रशिक्षणार्थीयों को प्रवेश नही देने के संबध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि जीएनएम प्रशिक्षणार्थियों द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि निजी नर्सिग स्कुलों द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को प्रवेश नही करवाया जा रहा है। इस सम्बध में निम्नलिखित प्रशिक्षणार्थियो ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये है :–

क.सं.	प्रशिक्षणार्थी का नाम	आवंटित सस्थान का नाम
01	दीपक पुत्र श्री लख्मी चन्द, भरतपुर।	श्री दिगम्बर स्कुल ऑफ नर्सिग, भरतपुर।
02	सोना कुमारी मीणा पुत्री श्री प्रभुलाल मीणा	सुधा नर्सिग स्कुल, कोटा।
03	मंजू पुत्री श्री रामसिंह	बिरला स्कुल ऑफ नर्सिग, पिलानी, झुन्झूनु।
04	सुरभि नागरवाल	महात्मा गांधी स्कुल ऑफ नर्सिग, सीतापुर, जयपुर।

इस सम्बध में समस्त निजी नर्सिग संस्थानों को निर्देशित किया जाता है कि जो छात्र Allotement Letter लेकर आपके कार्यालय में उपस्थित हो रहे है, उनको अविलम्ब प्रवेश की प्रकिया पूर्ण की जाये । किसी भी प्रकार के प्रकरण में प्रशिक्षणार्थियों को प्रवेश न देने अथवा मना करने पूर्व इस कार्यालय से दूरभाष पर चर्चा करना आवश्यक होगा। इसके पश्चात भी अगर इस कार्यालय को शिकायत प्राप्त होती है तो सम्बधित संस्थान के विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही कर राज्य सरकार की एन.ओ.सी. एवं आरएनसी की सम्बद्धता समाप्त करने हेतु राज्य सरकार को लिख दिया जावेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी संस्थान की होगी।

(सुरेश नवल)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज० जयपुर

क्रमांक : प्रशि. / जनप्र / एम–124 / 2022 / दिनांक :

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

01. रजिस्ट्रार, राजस्थान नर्सिग कौंसिल, जयपुर।
02. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उपरोक्त पत्र को सर्वर पर अपलोड करने का श्रम करे।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज० जयपुर